न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 01/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री धन्नालाल पुत्र गोपाल जाति गूजर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल **(मृतक)**
1/1. सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल
1/2. रणवीर पुत्र धन्नालाल
1/3. कोशल्याबाई पुत्री धन्नालाल पत्नि प्रमोद
1/4. राधाबाई बेवा धन्नालाल जातिगण गूजर निवासीगण भटवाड़ा तहसील मांगरोल
(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री बृजमोहन गोयल, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 28.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भटवाड़ा में नामा. सं. 857 निर्णय दिनांक 26.12.2010 से ख.नं. 637 रकबा 0.08, 1451 रकबा 0.10 है., 1464 रकबा 0.27 है., 1467/1723 रकबा 0.80 है. किता 4 रकबा 1.25 है. भूमि में मृतक धन्नालाल का 1/4 हिस्सा दर्ज था तथा ख.नं. 1467 रकबा 0.76 है, 1468 रकबा 0.40 है. किता 2 रकबा 1.16 है. भूमि में मृतक धन्नालाल का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था जिसका विरासत का नामान्तरकरण मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दर्ज किया जाकर तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक होने के बाद पटवारी द्वारा एक पुत्र भोलू का नाम शजरे में जोड़ दिया गया है जबकि राजस्व अधिकारी द्वार दो पुत्र सत्यनारायण, रणवीर, पुत्री कोशल्याबाई एवं बेवा राधाबाई के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। अतः नामांन्तरकरण सं. 857 दि. 26.12.2010 निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:08:25 IST
Reason: SelfAttested

3– अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये [illegible]क जवाब रेफरेन्स जर्ये अभिभाषक इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम [illegible] 857 दिनांक 26.12.2010 में तत्कालीन पटवारी द्वारा मृतक के वारिसान [illegible]यण, रणवीर, कोश[illegible]ई, राधाबाई के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर प्रशास[illegible] गांव के संग अभिय[illegible]प भटवाड़ा में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये तस्दीक करवाया गया जो निरस्त योग्य नही है। तहसीलदार

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)

मांगरोल को उक्त नामान्तरकरण निरस्त करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, सक्षम न्यायालय को ही उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है।

4— उक्त जवाब व अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

5— बहस के स्तर पर प्रकरण दिनांक 20.01.2020 से विचाराधीन रहने के उपरान्त भी अभिभाषक अप्रार्थीगण निरन्तर बहस हेतु समय चाहते रहे।

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वंय भी अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

7— दौराने बहस पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प भटवाड़ा में उपस्थित ग्राम वासियान से पूछताछ कर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मृतक धन्नालाल के वारिसान अप्रार्थीगण का नाम शजरे में अंकित किया तथा इसी अनुरूप उक्त नामान्तरकरण प्रमाणित हुआ। बाद में जानकारी होने पर तत्समय कार्यरत पटवारी हल्का ने एक अन्य पुत्र भोलू का नाम भी शजरे में अंकित कर दिया परन्तु राजस्व अधिकारी द्वारा दो पुत्र सत्यनारायण, रणवीर, पुत्री कोशल्याबाई एवं बेवा राधाबाई के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण विधिनुरूप नहीं होने से काबिले निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

8— हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम भटवाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 857 दिनांक 26.12.2010 पर अंकित शजरे में एक अन्य पुत्र भोलू का नाम नामान्तरकरण तस्दीक होने के बाद दर्ज किया गया है। जबकि रजस्व अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण मृतक धन्नालाल के दो पुत्र एक पुत्री व बेवा राधाबाई के नाम दर्ज करना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

9— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, ग्राम भटवाड़ा का नामान्तकरण संख्या 857 दिनांक 26.12.2010 निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार, मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:08:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज [illegible] जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)